POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.07.2025

1. थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 अवैध तमंचा बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.07.2025** को **थाना सेक्टर-20 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त (1)अप्पू उर्फ संदीप पुत्र श्याम (2)भानू उर्फ सागर पुत्र बच्चनराम को तिकोनिया पार्क सेक्टर-27 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है व 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व अभियुक्त भानू उर्फ सागर के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है ।

अभियुक्तगण गिरोह बनाकर रेकी करके मोटरसाइकिल चोरी करते है। अभियुक्तों के साथी बाल अपचारी, अभियुक्तों की चोरी करने में मदद करते है जिससे चोरी करने में सफलता मिलती है ।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अप्पू उर्फ संदीप पुत्र श्याम निवासी सेक्टर-44, छलैरा, थाना सेक्टर-39 नोएडा उम्र 21 वर्ष।
2. भानू उर्फ सागर पुत्र बच्चनराम निवासी जे0जे0 कॉलोनी, सेक्टर-18, थाना सेक्टर-20 नोएडा उम्र 19 वर्ष।
3. 02 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण--

चोरी की 04 मोटरसाइकिल

1. एक मोटरसाइकिलि स्पलैन्डर प्लस रजि नं0 यूपी 30 बी.ए. 4381 सम्बन्धित मु0अ0सं0 212/23 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-20 नोएडा।
2. एक मोटरसाइकिल स्पलैन्डर रजि नं0 यूपी 30 बी.वी. 2520
3. एक मोटरसाइकिल स्पलैन्डर प्लस रजि नं0 डीएल 7 एस.सी.एन 8779
4. एक मोटरसाइकिल स्पलैन्डर प्लस रजि नं0 यूपी 16 डी.ई. 8516

5. अभियुक्त भानू उर्फ सागर के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 212/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर बनाम अप्पू उर्फ संदीप।

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा 20 माह से वांछित चल रहा 50,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.07.2025** को **थाना सेक्टर-63 नोएडा** पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मु0अ0सं0 569/23 धारा 406/420/467/468/471/506/120बी/34 भादवि से सम्बन्धित 50,000 रूपये का इनामी/वांछित अभियुक्त रविन्द्र शर्मा पुत्र किशन शर्मा को ग्राम हमीदपुर से एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने वाले कट से **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध का विवरण-- अभियुक्त रविन्द्र शर्मा द्वारा अपने सह अपराधियों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र रचकर मुकदमा वादी व उसके साथियों को विश्वास में लेकर जेवर एयरपोर्ट के पास फर्जी जमीन दिखाकर धोखाधडी करते हुए जमीन के कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये तथा धोखाधड़ी से जमीन विक्रय कर वादी पक्ष से लगभग 24 करोड़ रूपये की धनराशि हड़प ली गई। जमीन न मिलने पर वादी पक्ष द्वारा धनराशि वापस मांगने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 569/23 धारा 406/420/467/468/471/506/120बी/34 भादवि0 पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण--

रविन्द्र शर्मा पुत्र किशन शर्मा निवासी ग्राम तुगलपुर हल्दौना, थाना नॉलेज पार्क ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी गामा-2, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

मु0अ0सं0 569/23 धारा 406/420/467/468/471/506/120बी/34 भादवि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

3. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा गांजा तस्कर एक अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.07.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा की तस्करी करने वाली एक अभियुक्ता अनीता पत्नी संतोष को मेट्रो स्टेशन सेक्टर 81 नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्ता के कब्जे से 03 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 40,000 रूपये है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

अनीता पत्नी संतोष निवासी ग्राम चौहर मानपुर, थाना करपी, अरवल (बिहार) वर्तमान पता ग्राम हबीवपुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर उम्र-35 वर्ष।

अभियुक्ता से संबंधित मुख्य बिंदु--

1. अभियुक्ता मूल रूप से बिहार राज्य के अरवल जिले की निवासी है।
2. अभियुक्ता ने कक्षा-8 वीं तक शिक्षा प्राप्त की है।
3. अभियुक्ता गांजा तस्करी के मामले में पूर्व में भी जेल जा चुकी है।
4. अभियुक्ता द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से कम कीमत पर गांजा लाकर, नशे की आदी लोगों को बेचा करती थी।
5. अभियुक्ता द्वारा पकड़े जाने के डर से निरंतर अपना स्थान बदलती रहती थी।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 226/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना इकोटेक-3, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 337/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

03 किलो 300 ग्राम गांजा (अनुमानित कीमत 40,000 रुपये)।